

प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 07.10.2020

- **34 लाख रूपये कीमत की तस्करी कर लाई जा रही 462 पेटी अंग्रेजी षराब व आयषर केण्टर गाडी सहित एक षराब तस्कर गिरफ्तार।**

➤ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में षराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आबकारी विभाग की टीम व थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा संयुक्त आपरेषन के दौरान आज दिनांक 07.10.2020 को चैकिंग के दौरान समय करीब 12:30 बजे पेरिफेरल हाईवे षर्फाबाद के सामने पुलिया से **षराब तस्कर 1-रवि कामत पुत्र हरदेव कामत निवासी ग्राम कछुआ चकौती थाना जाले दरभंगा बिहार को गिरफ्तार किया है।** अभियुक्त के कब्जे से **आयषर केण्टर गाडी नम्बर एचआर-38वी-1648 में हरियाणा राज्य से तस्करी कर लाई जा रही 462 पेटी अंग्रेजी षराब नाजायज बरामद की गई है।** उक्त अवैध षराब की **कीमत करीब 34 लाख रूपये बताई जा रही है।** अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के 02 साथी मौके से फरार हो गये। मौके से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रयास जारी है।

➤ **अभियुक्त का नाम व पता-**

1-रवि कामत पुत्र हरदेव कामत निवासी ग्राम कछुआ चकौती थाना जाले जनपद दरभंगा बिहार।

➤ **बरामदगी का विवरण-**

1-अवैध 462 पेटी अंग्रेजी षराब (कीमत करीब 34 लाख रूपये)

2-तस्करी में प्रयुक्त एक आयषर केण्टर गाडी नम्बर एचआर-38वी-1648

➤ **थाना बागपत पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना कोतवाली बागपत- पुलिस द्वारा मु0अ0स0 650/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 332, 336, 353, 504, 506, 307, 427, 120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त 1-असलम पुत्र रषीद निवासी रषीद कालोनी कस्बा व थाना बागपत व मु0अ0स0 734/2020 धारा 354,323,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त 1-सुमित उर्फ सन्दीप पुत्र जयवीर निवासी फैंजपुर निनाना थाना बागपत को गिरफ्तार किया गया।